उच्च न्यायालय उत्तराखंड, नैनीताल ।

आपराधिक रिट याचिका संख्या 1264 सन 2021

नंदन कुमार मित्तल .....याचिकाकर्ता

बनाम

उत्तराखंड राज्य और अन्य .....प्रत्यर्थी

श्री पीयूष गर्ग, याचिकाकर्ता विद्वान अधिवक्ता।

श्री वी. एस. राठौर विद्वान ए. जी. ए. साथ मे श्री पंकज जोशी संक्षिप्त धारक राज्य के लिए

माननीय आर. सी. खुलबे, जे.

पक्षों के लिए विद्वान अधिवक्तागण को सुना।

2. यह आपराधिक रिट याचिका भारत के संविधान के अनुच्छेद 226 के अंतर्गत दायर की गई है, जिसमें भा.दं.सं. की धारा 434 और 427 के अंतर्गत पी.एस. डोईवाला, जिला देहरादून में दर्ज प्राथमिकी संख्या 0261सन 2020 को रद्द करने की मांग की गई है।

3. प्रथम इत्तिला रिपोर्ट (संलग्नक -1) के परिशीलन से यह स्पष्ट है कि उक्त प्रथम इत्तिला रिपोर्ट भारतीय दंड संहिता की धारा 427 और 434 के अंतर्गत दर्ज की गई थी; दंड प्रक्रिया संहिता मे अनुसूची प्रथम के अनुसार, ये दोनों अपराध असंज्ञेय अपराध हैं। भारतीय दंड संहिता के अध्याय 12 के अनुसार, पुलिस स्टेशन के एक अधिकारी को संज्ञेय अपराध के मामले में धारा 154 के तहत सूचना दर्ज करने का अधिकार है, जब किसी पुलिस अधिकारी के समक्ष गैर-संज्ञेय अपराध के बारे में सूचना दी जाती है, तो पुलिस अधिकारी आईपीसी की धारा 155 के अनुसार निर्धारित प्रारूप में इसे लिख सकता है; दोनों में बुनियादी अंतर है; जहां तक संज्ञेय मामलों में अपराध से संबंधित दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 154 का संबंध है, पुलिस थाने का संबंधित अधिकारी मामले का अन्वेषण करने के लिए आबद्ध है, जबकि दंड प्रक्रिया संहिता यद्यपि धारा 155 के अनुसार, जो असंज्ञेय मामलों के बारे में जानकारी प्रदान करती है, पुलिस अधिकारी को मामले मे यद्यपि स्वतः जांच करने की शक्ति नहीं है, लेकिन जैसे ही उसके द्वारा सूचना अभिलिखित की जाएगी, वह सूचना मजिस्ट्रेट को निर्दिष्ट करेगा। तथापि, मजिस्ट्रेट के निदेशों के अनुसार, निश्चित रूप से, एक पुलिस अधिकारी को असंज्ञेय अपराध की भी जांच करने की शक्ति है।

4. जहां तक वर्तमान मामले का संबंध है, क्योंकि भा. दं. सं. की धारा 427 और 434 के अधीन अपराध असंज्ञेय अपराधों की श्रेणी में आते हैं, इसलिए पुलिस थाने के संबंधित अधिकारी को दंड प्रक्रिया भा.दं.सं. की धारा 154 के अनुसार सूचना दर्ज करने की शक्ति प्राप्त नहीं थी और न ही उसे संबंधित मजिस्ट्रेट की पूर्व अनुमति प्राप्त किए बिना मामले का अन्वेषण करने की कोई शक्ति प्राप्त थी।

5. इस अवसर पर, केशव लाल ठाकुर बनाम बिहार राज्य के मामले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिए गए एक निर्णय के सुसंगत उद्धरण को पुनः प्रस्तुत करना सुसंगत है, जो (1996) 11 एससीसी 557 में रिपोर्ट किया गया था, जो निम्नानुसार हैः

> "हमें इस प्रश्न पर जाने की जरूरत नहीं है कि तत्काल मामले के तथ्यों में उच्च न्यायालय का उपरोक्त दृष्टिकोण उचित है या नहीं, क्योंकि न तो पुलिस को इस अपराध की जांच करने का अधिकार था और न ही मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट को इस तरह की जांच पूरी होने पर प्रस्तुत रिपोर्ट पर संज्ञान लेने का अधिकार

था।पुलिस के स्वयं दिखाए जाने पर अधिनियम की धारा 31 से अपराध असंज्ञेय है और इसलिए पुलिस दंड प्रक्रिया आदेश की धारा 154 से ऐखंड अपराध के लिए मामला दर्ज नहीं कर सकती थी।इसका अर्थ यह है कि न तो पुलिस प्रश्नगत अपराध की जांच कर सकती है और न ही ऐसी रिपोर्ट प्रस्तुत कर सकती है जिस पर संज्ञान लेने का प्रश्न उठता हो।इस बिंदु पर, यह उल्लेख किया जा सकता है कि दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 2 (घ) के स्पष्टीकरण को ध्यान में रखते हुए, जो 'शिकायत' को परिभाषित करता है, पुलिस जांच के पश्चात असंज्ञेय अपराध खंड संबंधित एक रिपोर्ट प्रस्तुत करने की हकदार है, जिसमें ऐसी रिपोर्ट को संबंधित पुलिस अधिकारी की 'शिकायत' के रूप में माना जाना है, लेकिन वह स्पष्टीकरण यहां अभियोजन को उपलब्ध नहीं होगा क्योंकि यह स्पष्टीकरण ऐखंड मामले खंड संबंधित है जहां पुलिस संज्ञेय अपराध में संज्ञेय अपराध में जांच शुरू करती है-वर्तमान खंड भिन्न-लेकिन अंततः यह पाता है कि मात्र गैर-संज्ञेय अपराध सामने आया है।"

6. तदनुसार, आपराधिक रिट याचिका स्वीकार की जाती है। नतीजतन, वर्तमान याचिकाकर्ता के विरुद्ध भा.दं.सं. की धारा 434 और 427 के तहत देहरादून जिले के पी.एस. डोईवाला में दर्ज प्राथमिकी संख्या 0261सन 2020 को इसके द्वारा रद्द किया जाता है।

7. लंबित आवेदनों, यदि कोई हो, निस्तारित होते हैं ।

(आर. सी. खुल्बे, जे.)

13.08.2021

बी एस